NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-09-2024

विषय सूची

केंद्र-राज्य संबंधों पर आपातकालीन प्रावधानों का प्रभाव

एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर लैंसेट की चेतावनी

प्रोजेक्ट चीता ऑडिट ने चिंता व्यक्त की

स्मार्ट प्रिसिजन बागवानी कार्यक्रम

चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (RE-INVEST)

संक्षिप्त समाचार

ऑपरेशन चक्र III

समय से पहले चुनाव संबंधी कानून

निधि कम्पनियां

सुभद्रा योजना

फॉस्फोरिक अम्ल

CMFRI इकाई को समुद्री शैवाल अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र नामित किया गया

एमी पुरस्कार 2024

केंद्र-राज्य संबंधों पर आपातकालीन प्रावधानों का प्रभाव

सन्दर्भ

- मणिपुर में हाल की हिंसा ने केंद्र-राज्य संबंधों और आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर वाद-विवाद पुनः शुरू हो गया है।

भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में

- भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों में सरकारें हैं।
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है।
  - इस योजना के तहत, अपने-अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का कार्य है।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान

- आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं।
- अनुच्छेद 355 और 356 मुख्य रूप से इस भाग के अंतर्गत राज्य में सरकार के मामलों से संबंधित हैं।
  - **अनुच्छेद 355** केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य आरोपित करता है।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।
  - **अनुच्छेद 356 के तहत** यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- **अन्य देशों के साथ तुलना:** अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संघीय कार्यों में राज्यों की सुरक्षा भी शामिल है, लेकिन उनमें राज्य सरकारों को हटाने का प्रावधान नहीं है।

बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण

- बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 355 को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रशासन में केंद्र द्वारा किया गया कोई भी हस्तक्षेप न्यायोचित और संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
  - यह अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने, संघीय शक्ति पर नियंत्रण रखने तथा राजनीति के संघीय ढांचे को संरक्षित करने का कार्य करता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- यह आशा की गई थी कि अनुच्छेद 355 और 356 को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बनकर रह जाएंगे।
- हालांकि, अनुच्छेद 356 का कई बार बहुमत वाली निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दुरुपयोग किया गया, प्रायः चुनावी हार से लेकर कानून और व्यवस्था के मुद्दों तक के कारणों से, संवैधानिक सिद्धांतों और संघवाद को कमजोर करते हुए।

न्यायिक निर्णय

- उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई
  - इसका प्रयोग सिर्फ़ संवैधानिक व्यवधानों के लिए किया जाना चाहिए, न कि सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिए। यह लागू किया जाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 355 का दायरा समय के साथ बढ़ता गया है।
    - प्रारंभ में, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) में, अनुच्छेद 355 की संकीर्ण व्याख्या अनुच्छेद 356 के उपयोग को उचित ठहराने के रूप में की गई थी।
    - हालाँकि, बाद के मामलों जैसे नागा पीपुल्स मूवमेंट (1998), सर्बानंद सोनोवाल (2005), और एच.एस. जैन (1997) में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 355 की व्याख्या को व्यापक बनाया, जिससे संघ को राज्यों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई कि वे संवैधानिक शासन का पालन करें।

आयोगों द्वारा सिफारिशें

- सरकारिया आयोग (1987), राष्ट्रीय आयोग (2002) और पुंछी आयोग (2010) सभी ने कहा है कि
    - अनुच्छेद 355 के तहत संघ को राज्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति है।
    - उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि अनुच्छेद 356, जो राष्ट्रपति शासन लगाता है, का उपयोग केवल आदर्श और आवश्यक स्थितियों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं, केंद्र-राज्य संबंधों पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण और जटिल है।
- वे केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य स्वायत्तता के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता रखते हैं, और उनके आवेदन को निष्पक्षता, आवश्यकता तथा संवैधानिक अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
- जैसे-जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, यह सुनिश्चित करना कि इन प्रावधानों का विवेकपूर्ण तरीके से और संघीय सिद्धांतों के ढांचे के अंदर उपयोग किया जाए, राष्ट्र के लोकतांत्रिक तथा संघीय संरचना को संरक्षित करने की कुंजी होगी।

Source: TH

एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर लैंसेट की चेतावनी

सन्दर्भ

- लैंसेट में प्रकाशित एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक शोध (GRAM) के अनुसार, 2050 तक विश्व भर में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमणों से 39 करोड़ से अधिक मृत्यु होने का अनुमान है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रामक रोगों, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर कीमोथेरेपी और प्रमुख सर्जरी के सफल उपचार के लिए खतरा बनकर उभर रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में बैक्टीरियल AMR मृत्यु छह प्रमुख सुपरबग्स से जुड़ी हैं या उनके कारण होती हैं: एस्चेरिचिया कोलाई, क्लेबसिएला न्यूमोनिया, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया।
- 1990 से 2021 के बीच प्रत्येक वर्ष विश्व भर में AMR के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
    - हालांकि, इसी अवधि में, वैश्विक स्तर पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में AMR से होने वाली मृत्यु की कुल संख्या में 50 प्रतिशत की कमी आई, जबकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में यह संख्या 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई।
- 2019 में भारत में 6,86,908 मृत्यु इन सुपरबग्स से जुड़ी (अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी) थीं, और उसी वर्ष 2,14,461 मृत्यु प्रत्यक्ष इनसे सीधे जुड़ी थीं।
- 2019 में, भारत में 2.9 लाख सेप्सिस मृत्यु सीधे AMR से जुड़ी थीं।
    - सेप्सिस से मृत्यु तब होती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जीवाणु संक्रमण के प्रति खतरनाक प्रतिक्रिया करती है और उपचार के बिना, अंग विफलता हो सकती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण

- **एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग:** मनुष्यों और पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनुचित उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक प्रमुख कारण है।
    - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा 2023 में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए निर्धारित प्रवृत्तियों पर जारी एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अस्पतालों में आने वाले 71.9% रोगियों को औसतन एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए गए थे।
- **अपर्याप्त खुराक और अवधि:** जब एंटीबायोटिक दवाओं को सही खुराक में और अनुशंसित अवधि के लिए नहीं लिया जाता है, तो इससे लक्षित सूक्ष्मजीवों का अधूरा उन्मूलन हो सकता है, जिससे जीवित बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकसित हो सकता है।
- **स्व-चिकित्सा:** उचित चिकित्सा मार्गदर्शन के बिना स्वयं-पर्चे से एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग होता है।
- **खाद्य-पशुओं में एंटीबायोटिक्स का सेवन:** खाद्य पशुओं और मुर्गी पालन में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले के रूप में एंटीबायोटिक्स का उपयोग एक सामान्य बात है और बाद में यह खाद्य श्रृंखला में विकसित होता है।
- **खराब स्वच्छता:** सीवेज का बड़ा भाग बिना उपचार के जल निकायों में बहा दिया जाता है, जिससे एंटीबायोटिक अवशेषों, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवों के साथ नदियों का व्यापक संदूषण होता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध वैश्विक प्रयास

- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना (GAP):** वैश्विक स्तर पर, देशों ने 2015 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान AMR पर वैश्विक कार्य योजना (GAP) 2015 में निर्धारित रूपरेखा के प्रति प्रतिबद्धता जताई तथा बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW):** यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य विशव भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- **वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS):** WHO ने ज्ञान अंतराल को भरने और सभी स्तरों पर रणनीतियों को सूचित करने के लिए 2015 में इसे लॉन्च किया।

- **वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास भागीदारी (GARDP):** WHO और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव (DNDi) की एक संयुक्त पहल, GARDP सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **देशवार पहल:** नए एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 2020 में एक बहु-क्षेत्रीय 1 बिलियन डॉलर का AMR एक्शन फंड लॉन्च किया गया था, और यू.के. नए एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान हेतु सदस्यता-आधारित मॉडल का परीक्षण कर रहा है।
    - पेरू द्वारा रोगी शिक्षा पर अनावश्यक एंटीबायोटिक नुस्खों को कम करने के प्रयास।
    - ऑस्ट्रेलियाई विनियामक सुधार प्रिस्क्राइबर व्यवहार को प्रभावित करने के लिए, तथा पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए पहल, जैसे कि यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित वैल्यू-डीएक्स कार्यक्रम।
    - डेनमार्क द्वारा पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए किए गए सुधारों से पशुओं में प्रतिरोधी रोगाणुओं की व्यापकता में उल्लेखनीय कमी आई है।

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध उठाए गए कदम

- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR):** इसका ध्यान वन हेल्थ दृष्टिकोण पर है और इसे विभिन्न हितधारकों मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **AMR निगरानी नेटवर्क:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के रुझानों और पैटर्न को पकड़ने तथा साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए AMR निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क (AMRSN) की स्थापना की।
- **भारत का लाल रेखा अभियान:** जो मांग करता है कि केवल डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाले एंटीबायोटिक्स को लाल रेखा से चिह्नित किया जाए, ताकि एंटीबायोटिक्स की ओवर-द-काउंटर बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके - यह एक कदम आगे है।
- **राष्ट्रीय एंटीबायोटिक उपभोग नेटवर्क (NAC-NET):** नेटवर्क साइटें अपने संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटीबायोटिक खपत पर डेटा संकलित करती हैं और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को भेजती हैं।
- केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत (संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप) शुरू किया।

निष्कर्ष

- रोगाणुरोधी दवाएँ आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की आधारशिलाओं में से एक हैं, और उनके प्रति बढ़ता प्रतिरोध चिंता का एक प्रमुख कारण है।
- समय के साथ AMR मृत्यु के रुझान कैसे परिवर्तित हुए हैं, और भविष्य में उनके परिवर्तन की संभावना कैसे है, यह समझना जीवन बचाने में सहायता करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: IE

प्रोजेक्ट चीता ऑडिट ने चिंता व्यक्त की

सन्दर्भ

- मध्य प्रदेश के महालेखाकार की एक रिपोर्ट ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के प्रबंधन पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच "समन्वय की कमी" को प्रकट किया गया है।

प्रोजेक्ट चीता क्या है?

- प्रोजेक्ट चीता भारत का चीता पुनर्वास कार्यक्रम है। इस परियोजना के अंतर्गत, पांच वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीते लाए जाएंगे।
  - 1952 में भारत सरकार ने चीते को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया था।
- अब तक कुल 20 वयस्क अफ्रीकी चीते आयात किए जा चुके हैं और उन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है।
  - यह विश्व में पहली बार है कि किसी बड़े मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर स्थानांतरित किया गया है।
- आठ चीतों का पहला बैच सितंबर 2022 में नामीबिया से आया और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा बैच फरवरी 2023 में आया।
- भारत आने के बाद से, आठ वयस्क चीते, तीन मादा और पांच नर, की मृत्यु हो चुकी है।
  - भारत में सत्रह शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 12 जीवित हैं, जिससे कुनो में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 24 हो गई है।

रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिंताएं

- ऑडिट में पाया गया कि कार्य योजना और प्रबंधन योजना में चीता पुनरुत्पादन का कोई उल्लेख नहीं था, और चीता पुनरुत्पादन कार्य कहां और कैसे शुरू हुआ, इसका विवरण देने वाले कोई दस्तावेज नहीं हैं।
- 2021-22 से जनवरी 2024 तक प्रोजेक्ट चीता पर 44.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो स्वीकृत प्रबंधन योजना के अनुरूप नहीं पाया गया।
  - इसके अतिरिक्त 90 लाख रुपये से अधिक के अनुचित व्यय को श्रम व्यय के अंतर्गत चिन्हित किया गया। हालांकि, मैनुअल श्रम के बजाय मशीनों का उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लागत बढ़ गई और स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार की हानि हुआ।
- ऑडिट में पाया गया कि ग्राउंड स्टाफ और कुनो वन्यजीव प्रभाग साइट चयन या चीता पुनरुत्पादन अध्ययन में शामिल नहीं थे, जिससे जमीनी स्तर पर योजना और समन्वय के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
- स्वीकृत प्रबंधन योजना के अनुसार, कुनो वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे निवास स्थान (गुजरात में गिर वन के अतिरिक्त) के रूप में पहचाना गया था।
  - हालाँकि, एशियाई शेरों को पुनः लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।
- रिपोर्ट में प्रकट किया गया कि कुनो के पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को चीता प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भेजा गया था, लेकिन शीघ्र ही उनका तबादला कर दिया गया, जिससे उनकी विशेषज्ञता अनुपलब्ध हो गई।
  - लेखापरीक्षा ने इस व्यय को निरर्थक बताया, क्योंकि कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारियों को कम से कम पांच वर्षों तक संरक्षण स्थलों पर बने रहना अनिवार्य है।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान
- यह पार्क मध्य प्रदेश में मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में स्थित है।
- इसे 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
- 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कुनो नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है।

Source: IE

स्मार्ट प्रिसिज़न बागवानी कार्यक्रम

सन्दर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय वतर्मान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के तहत स्मार्ट प्रिसिजन बागवानी कार्यक्रम की योजना बना रहा है।

परिचय

- सरकार ने नई तकनीकों का परीक्षण करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संशोधित करने के लिए देश भर में 22 सटीक कृषि विकास केंद्र (PFDCs) भी स्थापित किए हैं।
- यह 2024-25 से 2028-29 तक पाँच वर्षों में 15,000 एकड़ भूमि को कवर करेगा और इससे लगभग 60,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- वर्तमान में, 2020 में लॉन्च किए गए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) में स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रावधान हैं।
    - AIF के अंतर्गत, व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ किसान समुदाय जैसे किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और स्वयं सहायता समूह, कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकीय समाधानों के उपयोग के लिए 3% की ब्याज छूट के साथ ऋण के लिए पात्र हैं।

परिशुद्ध खेती क्या है?

- परिशुद्ध खेती (PF) कृषि प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है कि फसलों और मिट्टी को ठीक वही मिले जो उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य तथा उत्पादकता के लिए चाहिए।
- पूरे क्षेत्र में समान इनपुट लागू करने के बजाय, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दीर्घकालिक लागत लाभ को अधिकतम करने के साथ-साथ किसी भी बर्बादी को रोकने के लिए उन्हें साइट-विशिष्ट आधार पर प्रबंधित और वितरित करना है।
- पिछले कुछ दशकों में, PF के लिए विभिन्न तकनीकें विकसित की गई हैं; उन्हें 'सॉफ्ट' और 'हार्ड' में विभाजित किया जा सकता है।
    - सॉफ्ट प्रिसिज़न एग्रीकल्चर, सांख्यिकीय और वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय, फसलों के दृश्य अवलोकन तथा अनुभव एवं अंतर्ज्ञान के आधार पर मिट्टी प्रबंधन निर्णयों पर निर्भर करता है।
    - हार्ड प्रिसिज़न एग्रीकल्चर में GPS, रिमोट सेंसिंग और वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी जैसी सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

भारत में परिशुद्धता खेती

- भारत में, यह अभ्यास अब तक पोषक-उपयोग दक्षता (NUE) और जल-उपयोग दक्षता (WUE) के लिए विकसित किया गया है।
- भारतीय परिदृश्य में PF अभी भी मुख्यधारा की कृषि प्रणालियों का अभिन्न अंग नहीं बन पाया है।

- हालांकि, तकनीकी प्रगति तथा वैज्ञानिक संस्थानों के बीच बढ़ती रुचि नए दृष्टिकोण लाती है और सभी प्रकार के खेतों एवंआर्थिक क्षमताओं के अनुरूप तकनीक का आविष्कार करती है।

कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग

- इसमें कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना सम्मिलित है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, मानव रहित विमानन प्रणाली, सेंसर और संचार नेटवर्क सम्मिलित हैं।
- इन नवाचारों से लाभ में वृद्धि होगी और सिंचाई तथा अन्य इनपुट की प्रभावकारिता में वृद्धि होगी।

भारत में कृषि के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मृदा स्वास्थ्य का आकलन:** मृदा सेंसर, रिमोट सेंसिंग मानव रहित हवाई सर्वेक्षण और बाजार की जानकारी आदि पर आधारित तकनीकी हस्तक्षेप किसानों को उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर फसल तथा मृदा स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने की अनुमति देगा।
- **फसल की पैदावार में सुधार:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (AI/ML) एल्गोरिदम जैसी तकनीकें फसल की पैदावार में सुधार, कीटों को नियंत्रित करने, मृदा जांच में सहायता करने, किसानों के लिए कार्रवाई योग्य डेटा प्रदान करने और उनके कार्यभार को कम करने के लिए वास्तविक समय में कार्रवाई योग्य जानकारी उत्पन्न करने में सहायता कर सकती हैं।
- **ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग:** यह खेतों, इन्वेंट्री, त्वरित और सुरक्षित लेनदेन तथा खाद्य ट्रैकिंग के बारे में छेड़छाड़-रहित एवं सटीक डेटा प्रदान करेगा।

महत्त्व

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी,
- मिट्टी के क्षरण को रोकना,
- फसल उत्पादन में रासायनिक उपयोग में कमी,
- जल संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना,
- किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना,
- पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करना,
- श्रमिक सुरक्षा को बढ़ाना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **सीमित डिजिटल अवसंरचना:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली जैसी मज़बूत डिजिटल अवसंरचना का अभाव होता है, जिससे किसानों द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपनाने में बाधा आती है।
- **डिजिटल विभाजन:** भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन है।
- **प्रौद्योगिकी की लागत:** विभिन्न डिजिटल कृषि समाधानों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है जो सीमित संसाधनों वाले छोटे किसानों के लिए वहनीय नहीं है।
- **विखंडित कृषि क्षेत्र:** भारत का कृषि क्षेत्र विखंडित है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे किसान हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विविध फ़सलें उगाई जाती हैं।
    - इस विविधता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल समाधान विकसित करना चुनौतीपूर्ण है।

- **क्षमता निर्माण:** किसानों को डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने तथा उत्पन्न आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है।

सरकारी पहल

- **भारत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र (IDEA):** यह एक ऐसा ढांचा है जिसे संघीय किसानों के डेटाबेस के लिए वास्तुकला तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नवीन कृषि-केंद्रित समाधानों की सुविधा प्रदान करता है।
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):** कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):** कृषि उपज बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ने वाला एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है, जो व्यापारियों, किसानों और मंडियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है।
- **PM किसान योजना:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि का हस्तांतरण, पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से स्व-पंजीकरण उपलब्ध है और व्यापक पहुंच के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप है।
- **कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (AGMARKNET):** बैकएंड सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करती है और किसानों, उद्योग तथा नीति निर्माताओं सहित हितधारकों के लिए AGMARKNET पोर्टल के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करती है।
- **ICAR द्वारा मोबाइल ऐप:** ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल ऐप किसानों को फसलों, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मिट्टी की पोषक स्थिति का आकलन करना और किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अनुकूलित सिफारिशें प्रदान करना है।
- **सटीक खेती को बढ़ावा:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी पहल ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सहित सटीक खेती तकनीकों को बढ़ावा देती है, जो पौधों के जड़ क्षेत्रों में सीधे पोषक तत्व पहुंचाकर यूरिया सहित उर्वरकों के अधिक कुशल उपयोग को सक्षम बनाती हैं।

निष्कर्ष

- अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़कर कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने से किसानों की आय के साथ-साथ देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी लाभ मिल सकता है, साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा।
- कृषि क्षेत्र उत्पादन और दक्षता को बढ़ाने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार है, ताकि कम भूमि पर अधिक भोजन उगाते हुए अधिक लोगों को भोजन दिया जा सके, हालांकि, यह परिवर्तन समावेशी होना चाहिए।

Source: IE

चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (RE-INVEST)

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री ने गुजरात में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (RE-INVEST) का उद्घाटन किया।
    - यह एक वैश्विक मंच है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाता है।

परिचय

- गुजरात ने 2030 तक 128.60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का संकल्प लिया है - जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।
- आंध्र प्रदेश ने 72.60 गीगावाट क्षमता जोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्रमशः 62.73 गीगावाट, 57.71 गीगावाट तथा 47.63 गीगावाट क्षमता जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा

- नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है, जिसका उपभोग की तुलना में अधिक दर पर पुनःपूर्ति की जाती है।
    - वे अधिक सतत और पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि वे बहुत कम या कोई ग्रीनहाउस गैस या प्रदूषक उत्पन्न नहीं करते हैं।
- भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार)।
- भारत ने 2021 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

भारत के लक्ष्य

- भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त अल्पकालिक लक्ष्य भी प्राप्त करना है, जिनमें शामिल हैं:
    - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना,
    - नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना,
    - 2030 तक संचयी उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी लाना, और
    - भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% तक कम करना।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM):** इसे 2010 में लॉन्च किया गया था, इसने ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- **हरित ऊर्जा गलियारे:** हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है।

- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन:** भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावॉट निर्धारित किया गया है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):** इसकी स्थापना स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं में अनुसंधान तथा नवाचार का समर्थन करने के लिए की गई थी जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती हैं।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO):** इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना पड़ता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM):** इसमें सौर पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े वर्तमान कृषि पंपों का सौरीकरण और बंजर या परती भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

ऑपरेशन चक्र III

सन्दर्भ

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने चल रहे ऑपरेशन चक्र-III में एक परिष्कृत साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने की कार्रवाई की है।

परिचय

- यह ऑपरेशन FBI (USA) और इंटरपोल सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से किया गया था।
- नेटवर्क 2022 से विदेशी देशों में पीड़ितों को निशाना बना रहा है, उनके संचालन में क्रिप्टोकरेंसी और बुलियन शामिल हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI)

- भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है।
  - CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है।
- **इतिहास:** इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने CBI की स्थापना की सिफारिश की थी।
- **कार्य:** CBI की स्थापना भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन तथा सामाजिक अपराध, विशेष रूप से जमाखोरी, कालाबाजारी एवं आवश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी, की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका अखिल

भारतीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव हो।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।

Source: AIR

समय से पहले चुनाव संबंधी कानून

सन्दर्भ

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है, जहां 26 नवंबर से पहले नए सदन का चुनाव होना चाहिए।
  - हालाँकि, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।

समय से पहले चुनाव

- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित हैं।
  - भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान सदन का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से पीछे की ओर कार्य करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जाए।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15(2) के अनुसार, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने से कम समय पहले चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जा सकती - जब तक कि विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग न हो जाए।
- संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के अनुसार राज्यपाल "समय-समय पर" विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
  - मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सिफारिश कर सकती है, जिससे राज्यपाल को निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता है।
  - विधानसभा भंग होने के बाद, चुनाव आयोग को छह महीने के अंदर नए चुनाव कराने होते हैं।

दिल्ली का परिदृश्य

- दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 लागू होता है। अधिनियम की धारा 6(2)(बी) कहती है कि उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। भले ही दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, अंतिम निर्णय केंद्र (एलजी के माध्यम से) का होगा।

Source: IE

निधि कम्पनियां

समाचार में

- कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) ने कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों को दंडित किया है।

निधि कम्पनियों के बारे में

- निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के तहत निगमित किया जाता है, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वे NBFC की एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए RBI को उनकी जमा स्वीकृति गतिविधियों से संबंधित मामलों में उन्हें निर्देश जारी करने का अधिकार है।
- **उद्देश्य:** उनका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों में बचत की आदत डालना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
    - निधि कम्पनियां बिना किसी दिखावटी मॉडल पर कार्य करती हैं, तथा अपने सदस्य आधार के अंतर्गत छोटी-छोटी बचत और ऋण देने की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **निषेध:** निधि कंपनियों को चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, बीमा या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। वे वरीयता शेयर, डिबेंचर या कोई भी ऋण साधन जारी नहीं कर सकते हैं।
    - उन्हें कॉर्पोरेट निकायों या ट्रस्टों को सदस्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

Source: ET

सुभद्रा योजना

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया, जो राज्य में महिला-केंद्रित सबसे बड़ी पहल होगी।

परिचय

- इस योजना का नाम ओडिशा के इष्टदेव भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है।
- इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ गरीब महिलाओं को पांच वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
- राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर 5,000 रुपये की दो किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा।
- ऐसी महिलाएं जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये या उससे अधिक प्रति माह या 18,000 रुपये या उससे अधिक प्रति वर्ष सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे सुभद्रा के तहत शामिल होने के लिए अपात्र होंगी।
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम एकल-धारक बैंक खाते में जमा किया जाएगा; उन्हें एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।

Source: IE

फॉस्फोरिक एसिड

सन्दर्भ

- विद्युत वाहन बैटरी बनाने के लिए प्रमुख उर्वरक घटक, फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग भारतीय कृषि के लिए चिंता का विषय बन सकता है, जो पोषक तत्वों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

फॉस्फोरिक एसिड के बारे में

- फॉस्फोरिक एसिड (H_3PO_4) एक कमजोर एसिड है जिसका प्रयोग सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- इसका उपयोग खाद्य योजक, उर्वरक और धातु उपचार में किया जाता है।
- यह जंग को हटा सकता है और धातुओं को क्षरण से बचा सकता है।
- यह डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) में मुख्य घटक है।
- यूरिया के बाद DAP भारत का दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक है।
- भारत मुख्य रूप से जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल और ट्यूनीशिया से फॉस्फोरिक एसिड आयात करता है।

Source: IE

CMFRI इकाई को समुद्री शैवाल अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र नामित किया गया

संदर्भ

- मत्स्य पालन विभाग ने ICAR-केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान (CMFRI) को समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नामित किया है।

समुद्री शैवाल के बारे में

- समुद्री शैवाल समुद्री पौधों और शैवाल की विभिन्न प्रजातियों को संदर्भित करता है जो महासागरों, नदियों और झीलों में उगते हैं।
- इन्हें हरे (क्लोरोफाइटा), भूरे (फियोफाइटा) और लाल (रोडोफाइटा) समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- वे खनिजों और विटामिनों से भरपूर होते हैं, जिनमें सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण जैसे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनका उपयोग विनिर्माण (सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट) और कृषि में भी किया जाता है, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ती है।

समुद्री शैवाल की खेती को समर्थन देने के लिए सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय समुद्री शैवाल मिशन:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, इस मिशन का उद्देश्य समुद्री शैवाल उद्योग में भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इसमें समुद्री शैवाल की खेती को नीली अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें तटीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**

Source: TH

एमी पुरस्कार 2024

सन्दर्भ

- 76वें प्राइमटाइम एमी पुरस्कार लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में प्रदान किये गये।

एमी पुरस्कार क्या हैं?

- एमी पुरस्कार टेलीविजन और उभरते मीडिया के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार हैं।
  - ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत, ये फिल्मों के लिए नहीं दिए जाते हैं।
- **इतिहास:** एमी पुरस्कारों की कल्पना 1948 में की गई थी और पहला समारोह 1949 में हुआ था।
- **पुरस्कार के प्रकार:** अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार और प्राइमटाइम एमी पुरस्कार के अतिरिक्त, एमी निम्नलिखित श्रेणियों में भी दिए जाते हैं: दिन का समय, खेल, समाचार और वृत्तचित्र, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, और क्षेत्रीय।

एमी पुरस्कार कौन देता है?

- ये पुरस्कार तीन सहयोगी संगठनों द्वारा दिए जाते हैं;
  - पहला है टेलीविज़न अकादमी, जो प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स का प्रबंधन करती है।
  - दूसरा है नेशनल एकेडमी ऑफ़ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज, जो दिन के समय, खेल, समाचार और वृत्तचित्र श्रेणियों की देखरेख करती है।
  - तीसरा है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज, जो इंटरनेशनल एमी के लिए उत्तरदायी है।

एमी पुरस्कार 2024 में विजेता

- बेहतरीन ड्रामा सीरीज़: शोगुन
- बेहतरीन कॉमेडी सीरीज़: हैक्स

Source: TH

■■■■